HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Criminal Appeal No. 465/2015

Kamlesh Kumar son of Laxman Prasad, Aged about 22 years, Resident of Hanuman ki Dhani, Tan Dhaniya, Panchayat Nawalgarh, District Jhunjhunu (Raj.)
(At present accused petitioner confined in Jhunjhunu Jail)

----Accused-Appellant

Versus

State of Rajasthan Through Public Prosecutor

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Fatehchand Saini, Adv.
For Respondent(s) : Mr. Amit Kumar Punia, PP

HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL
HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL

Judgment

01/04/2026

(PER HON'BLE BHUWAN GOYAL, J.)

1. अपीलार्थी–अभियुक्त कमलेश कुमार द्वारा हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 374 द.प्रं.सं. के तहत विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, झुन्झुनू द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 72/2013 (20/2013), उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कमलेश कुमार में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 08–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी–अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 364, 302 भा.दं.सं. के आरोपों में दोषसिद्ध किया जाकर निम्नानुसार दण्डित किया गया हैः–

धारा	सजा	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
364 भा.दं.सं.	05 साल का कठोर कारावास	2,000/– रुपए	02 माह का पृथक से कारावास
302 भा.दं.सं.	कठोर आजीवन कारावास	5,000/– रुपए	06 माह का पृथक से कारावास
सभी मूल सजाएं साथ–साथ चलने का आदेश दिया गया है।			

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी केशरदेव (पी.ड.–4) ने पुलिस थाना नवलगढ के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 14–01–2013 को एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.–5) इस आशय की पेश की कि दिनांक 13–01–2013 को करीब 8.00 बजे सुबह उसका साला कमलेश पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद, निवासी हनुमान की ढाणी, तन ग्राम कानाकावाली, ग्राम पंचायत ढाणियां नवलगढ उसकी मॉ श्योकोरी देवी को यह कहकर उनके घर गंगासागर की ढाणी से हनुमान की ढाणी लाया था कि उसकी दादी खत्म हो गई, बाद में उन्होंने पता किया तब पता चला कि उसकी दादी घर से गायब है। दिनांक 14–01–2013 को सुबह पता चला कि उसने उसकी मॉ श्योकोरी देवी को उसके मकान हनुमान की ढाणी में मार दिया है। उसकी मॉ की हत्या कमलेश ने की है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें, इत्यादि......।

3. उक्त रिपोर्ट (प्रदर्श पी.–5) के आधार पर पुलिस थाना– नवलगढ, जिला झुन्झुनू द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2013, अन्तर्गत धारा 364, 302 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 364 भा.दं.सं. में आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ, जिला झुन्झुनू के समक्ष पेश किया गया है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर, मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उसे सेशन न्यायाधीश, झुन्झुनू को कमिट किया गया, जहां से हस्तगत प्रकरण कालांतर में सुनवाई हेतु अंतरित होकर विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, झुन्झुनू को प्राप्त हुआ।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने बहस चार्ज सुनकर अपीलार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 364, 302 भा.दं.स. में दण्डनीय अपराधों का आरोप विरचित कर उसे सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.डब्ल्यू.–1 लगायत पी.ड.–15 के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–13 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने गवाहान द्वारा उसके विरूद्ध गलत साक्ष्य देना बताते हुए कथन किया कि उसने किसी को नहीं मारा है, उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसे इस प्रकरण में केशर पर शक है एवं साक्ष्य सफाई में गवाह डी.ड.–1 जगदीश प्रसाद को प्रस्तुत कर उसकी साक्ष्य लेखबद्ध करवायी गई एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श डी.–1 एवं प्रदर्श डी–2 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् अपीलार्थी–अभियुक्त कमलेश कुमार को अपराध अन्तर्गत धारा 364, 302 भा.दं.सं. में उपरोक्त अनुसार दण्डित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी–अभियुक्त के द्वारा हस्तगत अपील उसे आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

7. प्रस्तुत मामले में हमारे समक्ष प्रमुख रूप से विचारणीय बिन्दू यह है कि–

1. आया अपीलार्थी–अभियुक्त ने दिनांक 13–01–2013 को प्रातः 8.00 बजे परिवादी केशरदेव की माता श्योकोरी देवी द्वारा पहनी हुई चांदी की कड़ियां निकालने के आशय से उसका अपहरण कर, उसके सिर पर हथौडे की चोटें पहुचांकर उसकी हत्या कारित की?

2. आया विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–05–2015 विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है?

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का कथन है कि प्रस्तुत मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में घटना के दिन मृतका श्योकोरी को अपीलार्थी–अभियुक्त के साथ देखने के गवाह बुली उर्फ संदीप एवं शिशुपाल की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि गवाह बुली उर्फ संदीप ने उसका मृतका को नहीं जानना एवं उनके नाम पुलिस को नहीं बताना अपने बयानों में स्वीकार किया है। उनका यह कथन है कि गवाह बुली उर्फ संदीप से मृतका की लाश की कोई पहचान कार्यवाही

भी नहीं करवाई गई है। उनका यह भी कथन है कि इस संदर्भ में अन्य साक्षी शिशुपाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पुलिसवालों के बताए अनुसार बयान देना स्वीकार किया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा मृतका का अपहरण एवं उसकी हत्या उसके आभूषण लूटने के आशय से करना बताया गया है, किंतु प्रकरण में अभियुक्त से मृतका के कोई आभूषण बरामद नहीं हुए हैं एवं पंचायतनामा लाश में भी मृतका का आभूषण पहने हुए होना अंकित किया हुआ है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में अभियुक्त से हथौड़ी बरामदगी कार्यवाही भी संदेह से परे सिद्ध नहीं हुई है, क्योंकि प्रथम तो उसके दोनों गवाहान पवन कुमार (पी.ड.–5), बाबूलाल (पी.ड.–6) पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं फर्द जब्ती हथौड़ी (प्रदर्श पी–6) में हथौड़ी पर रक्त लगा होना भी अंकित नहीं है। उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में लाश बरामदगी स्थल की ना तो कोई फर्द बनाई गई है और ना ही उसके अभियुक्त के कब्जेशुदा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जिससे हस्तगत प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखलाएं आपस में पूर्ण नहीं हुई है। उनका अंत में कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त सभी बिंदुओं पर सूक्ष्मता से एवं गहनता से विचार किए बिना ही, आलौच्य आदेश दिनांक 08–05–2015 पारित किया है, जिससे उक्त आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किए जाने योग्य है, अतः अपील अपीलार्थी–अभियुक्त स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश दिनांक 08–05–2015 अपास्त कर अपीलार्थी–अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जावे।

9. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत अपील का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रकरण में गवाह बुली उर्फ संदीप एवं शिशुपाल के कथनों से घटना के दिन मृतका को अपीलार्थी–अभियुक्त के साथ देखा जाना, मृतका की लाश अपीलार्थी–अभियुक्त के घर से बरामद होकर उसकी सूचना पर घटना में प्रयुक्त हथौड़ी बरामद होना अभियोजन साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अत्यंत सूक्ष्मता से एवं गहनता से विश्लेषण कर जो आलौच्य आदेश दिनांक 08–05–2015

पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, अतः अपील अपीलार्थी–अभियुक्त अस्वीकार कर खारिज की जावे।

10. हमनें अपीलीय पत्रावली का मय रिकॉर्ड सम्मानपूर्वक अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

11. हस्तगत प्रकरण में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है एवं प्रकरण पूर्णतया परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

12. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरद बिरदीचन्द सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 1984 SC 1622** में किसी आरोपी के खिलाफ मामले को साबित करने हेतु निम्न पांच शर्तों का पूरा होना आवश्यक बताया है:–

> (1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें प्रकरण में पूरी तरह से स्थापित किया गया हो;
>
> (2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए; अर्थात् उन्हें किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना चाहिए, सिवाय इसके की अभियुक्त दोषी है;
>
> (3) परिस्थितियां निर्णायक पद्धति एवं प्रकृति की होनी चाहिए;
>
> (4) उन्हें सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर सम्भावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए;
>
> (5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार ना छूटे और यह दर्शाया जावे कि सभी मानवीय सम्भावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा;

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष द्वारा घटना दिनांक 13–01–2013 को मृतका श्योकोरी को अपीलार्थी–अभियुक्त के साथ देखे जाने के संबंध में गवाह पी.ड.–2 बुली उर्फ संदीप एवं गवाह पी.ड.–10 शिशुपाल को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है। गवाह पी.ड.–2 बुली उर्फ संदीप ने अपनी मुख्य परीक्षा में उसे कमलेश द्वारा हनुमान वाली ढाणी से उसकी बहन के घर

ले जाना, वहां कमलेश द्वारा घर के अंदर जाकर उसकी बहन की सासु को लेकर आना, फिर उन तीनों का उनकी ढाणी में वापस आने पर उसका अपने घर चले जाना कथन किया गया है, किंतु उक्त गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह कमलेश की बहन एवं उसकी सासु को नहीं जानता है, वे कहां रहती हैं और कौन हैं, उनके क्या नाम हैं, वह नहीं जानता है। कमलेश के साथ कौन था, वह उसको नहीं जानता है, उसने श्योकोरी की लाश को नहीं देखा था, उसने प्रदर्श डी–1 में कमलेश की बहन मंजू एवं उसकी सास श्योकोरी का नाम नहीं बताया था, जिससे उसके कथनों से, उसका मृतका श्योकोरी को नाम से एवं शक्ल से नहीं जानना प्रकट होता है, किन्तु प्रकरण में उक्त गवाह से लाश की पहचान कार्यवाही नहीं कराई गई है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि उक्त गवाह ने वह किस दिनांक एवं समय पर कमलेश के साथ उसकी बहन के घर गया था, यह भी कथन नहीं किया गया है, जिससे उसके घटना दिनांक 13–01–2013 को कमलेश के साथ कमलेश की बहन के घर जाने, वहां से मृतका श्योकोरी के ही साथ उनके आने बाबत् कथनों की विश्वसनीयता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है।

14. गवाह पी.ड.–10 शिशुपाल ने इस संदर्भ में अपने बयानों में श्योकोरी का उसकी चाची होना, उसे कमलेश एवं एक अन्य छोटे लड़के के साथ गुजरते देखना, केशर द्वारा उसके घर आकर, उसकी मां के बारे में पूछने पर उसे, उसके कमलेश के साथ जाने की बात बताना, फिर उनके कमलेश के घर जाने पर कमलेश का मकान बंद होकर कमलेश का वहां नहीं मिलना, फिर शाम को कमलेश के बड़े भाई परमेश्वर को घर बुलाकर उसे सारी बात बताना एवं उसे उसके बारे में पता लगाने हेतु बोलना, परमेश्वर द्वारा कमलेश का पता लगाकर उसे नवलगढ़ थाने ले जाना, वहां उसके द्वारा श्योकोरी के मर्डर की बात कबूलना यद्यपि कथन किया गया है, किंतु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसे परमेश्वर ने कुछ नहीं बताया था। गवाह पी.ड.–11 परमेश्वर ने भी इस संदर्भ में अपनी मुख्य परीक्षा में उसके शिशुपाल के घर जाने, शिशुपाल द्वारा उसे घटना की जानकारी देने, उसके द्वारा कमलेश की

जानकारी कर, उसे नवलगढ़ थाने ले जाने, वहां कमलेश द्वारा मर्डर की बात कबूलने के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया गया है, बल्कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि श्योकोरी देवी को कमलेश ने नहीं मारा था एवं उसे आज तक यह पता नहीं है कि उसे किसने मारा, जिससे प्रथमदृष्टया ही गवाह के कथनों की पुष्टि अन्य साक्षी परमेश्वर के कथनों से नहीं हो पाने से, उसके उक्त सभी कथनों की विश्वसनीयता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है।

15. गवाह पी.ड.–10 शिशुपाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इसी प्रकार उनके कमलेश के घर जाते वक्त, रास्ते में उन्हें सागर विद्यापीठ के हैडमास्टर जगदीश प्रसाद सैनी का मिलना, उससे पूछने पर उसके द्वारा, तीनों के वहां से जाते देखने की बात उन्हें बताना कथन किया गया है, किंतु उसके उक्त कथनों की पुष्टि भी गवाह डी.ड.–1 जगदीश प्रसाद के बयानों से नहीं होती है, क्योंकि वह अपने बयानों में उसके द्वारा किसी लड़के, छोटे लड़के व औरत को उधर से गुजरते नहीं देखना, कमलेश को नहीं जानना, केशर व शिशुपाल से उसकी कोई बातचीत नहीं होना एवं वहां खड़ी औरतों द्वारा उसे केशर की मां का अकेले ही अपने घर की तरफ जाने की बात बताना कथन करता है, जिससे भी गवाह शिशुपाल के कथनों की संपुष्टि अन्य साक्षी जगदीश के कथनों से नहीं हो पाने से पुनः उसके उक्त कथनों की विश्वसनीयता भी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है।

16. गवाह पी.ड.–10 शिशुपाल अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे उसके द्वारा कोई घटना नहीं देखना एवं बयान पुलिसवालों के बताए अनुसार देना भी स्वीकार करता है, जिससे भी उसके मृतका एवं मुलजिम को साथ देखने बाबत् कथनों की विश्वसनीयता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड.–15 सुरेश परैवा जो कि अनुसंधान अधिकारी है, उसने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान के दौरान ऐसा कोई तथ्य नहीं आया था, जिसमें मृतका को कमलेश के साथ देखा गया हो एवं उसने ऐसे किसी व्यक्ति के बयान नहीं लिए जिन्होंने मृतका को कमलेश के साथ देखा हो।

17. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा मृतका श्योकोरी द्वारा पहनी चांदी की कड़ियां लूटने के आशय से उसे ले जाकर उसकी हथौड़ी से हत्या करना एवं उक्त हथौड़ी एवं लाश का उसके घर से मिलना बताया गया है, किंतु प्रथम तो फर्द पंचायतनामा मृतका प्रदर्श पी–2 में मृतका के पांव में एक–एक चांदी की कड़ी होना अंकित किया हुआ है एवं प्रकरण में अनुसंधान के दौरान मृतका द्वारा पहने आभूषण भी अभियुक्त से बरामद नहीं हुए हैं एवं फर्द बरामदगी हथौड़ी प्रदर्श पी–6 के साक्षी पी.ड.–5 पवन कुमार सैनी एवं साक्षी पी.ड.–6 बाबूलाल भी पक्षद्रोही घोषित हुए हैं एवं उन्होंने अपने–अपने बयानों में अभियुक्त से उनके सामने कुछ भी बरामद नहीं होना, उनके खाली कागजों पर थाने में हस्ताक्षर करवाना कथन किया गया है।

18. अभियुक्त कमलेश से हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.ड.–15 सुरेश परैवा (अनुसंधान अधिकारी) द्वारा उसकी सूचना दिनांक 18–01–2013 के आधार पर हथौड़ी दिनांक 18–01–2013 को बरामद किया जाना बताया गया है, किंतु इस संदर्भ में गवाह पी.ड.–14 नारायण सिंह जो कि पूर्व अनुसंधान अधिकारी है, उसने अपने बयानों में दिनांक 15 से 18 तक अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उसे कोई सूचना नहीं देना, उसके द्वारा पांच दिनों तक अनुसंधान करना और इन पांच दिनों में मुलजिम से कोई बरामदगी नहीं होना कथन किया है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त हथौड़ी को दिनांक 18–01–2013 को अभियुक्त के कमरे से ''एक्स'' स्थान से जब्त किया जाना बताया गया है, किंतु उक्त स्थान का निरीक्षण दिनांक 14–01–2013 को नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–4 बनाते वक्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा करना प्रकट होता है। हमारी विनम्र राय में यदि वास्तव में वहां हथौड़ी रखी हुई होती तो निश्चित तौर पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा नक्शामौका प्रदर्श पी–4 बनाते वक्त ना केवल उसे जब्त किया जाता बल्कि उसका उल्लेख नक्शामौका प्रदर्श पी–4 में भी किया जाता। गवाह पी.ड.–15 सुरेश परैवा ने इस संदर्भ में अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि हथौड़ी जहां से बरामद हुई वह घर खुला हुआ था, ताला लगा हुआ नहीं था, जिससे उक्त हथौड़ी को नक्शामौका

प्रदर्श पी–4 बनाने के पश्चात् वहां रखे जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त जब्तशुदा हथौड़ी की ना तो एफएसएल जांच हुई है और ना ही उस पर अंकित फिंगरप्रिंट की जांच करवाई गई है एवं जिस स्थान से उक्त हथौड़ी को एवं लाश को बरामद किया जाना बताया गया है वह स्थान अपीलार्थी–अभियुक्त के कब्जेशुदा था, इस संदर्भ में भी कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, बल्कि इस संदर्भ में गवाह पी.ड.–15 सुरेश परैवा जो कि अनुसंधान अधिकारी है, उसने अपने बयानों में यह स्वीकार किया है कि घर किसका था, इस बारे में उसने कोई कागजात नहीं लिए, घर के मालिक का पता करने के लिए उसने किसी सरपंच या पार्षद को नहीं बुलाया, हथौड़ी जो बरामद की, उस पर कोई रक्त लगा हुआ नहीं था, ऐसी हथौड़ी बाजार में आसानी से मिल जाती है। प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि शव बरामदगी की कोई फर्द भी नहीं बनाई गई है।

19. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियोजन पक्ष का यह पुनित दायित्व होता है कि वह प्रकरण में अभियुक्त को आरोपित अपराध से जोडने के लिए उसकी प्रत्येक कड़ी को संदेह से परे सिद्ध करे एवं उक्त सभी कड़ियों की श्रृंखला प्रबल, सघन, पूर्ण व अविराम हो, एवं उनसे मात्र यह निष्कर्ष निकले कि मानव संभाव्यताओं की सभी दशाओं में, अपराध केवल और केवल अभियुक्त द्वारा कारित किया गया है, अन्य किसी द्वारा नहीं, परन्तु हस्तगत प्रकरण में, पत्रावली पर जो साक्ष्य/सामग्री अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई है, उसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत समस्त कडियां टूटी हुई, बिखरी हुई व असमान हैं, जो हमारी विनम्र राय में अपीलार्थी–अभियुक्त को आरोपित अपराध से पूर्णरूप से नहीं जोडती है।

20. अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व उभयपक्षों के तर्कों पर मनन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष विचारणीय बिंदु को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है जिससे उक्त निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील, अपीलार्थी–अभियुक्त कमलेश कुमार स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–2, झुन्झुनू द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 72/2013 (20/2013), उनवानी प्रकरण सरकार बनाम कमलेश कुमार में पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 08–05–2015 को रद्द एवं अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी–अभियुक्त कमलेश कुमार को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त(बरी) किया जाता है एवं प्रभारी, जिला जेल, झुन्झुनू को इस आशय की तहरीर जारी की जावे कि यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित ना हों तो उसे हस्तगत प्रकरण में अविलम्ब रिहा किया जावे।

21. अपीलार्थी–अभियुक्त कमलेश कुमार को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी–अभियुक्त **पचास हजार रूपये** का स्वयं का बन्ध–पत्र तथा इसी राशि की एक सुदृढ प्रतिभूति, धारा **437–क द.प्र.सं./481 बीएनएसएस** के अनुसार, दोषमुक्त होने के आदेश की दिनांक से दो सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार (न्यायिक) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष इस आशय की पेश करें कि इस निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में या अनुमति प्रदान किये जाने की स्थिति में, अपीलार्थी–अभियुक्त कमलेश कुमार को नोटिस की तामिल होने के पश्चात् वह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। उपरोक्त बंध पत्र छः माह के लिए प्रभावी रहेगा।

22. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

(BHUWAN GOYAL),J **(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J**

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /75